36

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
## समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
## सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1615—दो / 2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18—05—05 के द्वारा अपर आयुक्त चंम्बल सभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 04 / 2004—05 / अपील

.......

1—सत्यनारायन पुत्र आशाराम जाति ब्रा0
निवासी गांधीनगर वार्ड कमाक 16 गोहद
तहसील गोहद जिला—भिण्ड म0प्र0

.............आवेदकगण

**विरूद्ध**

1.राजेन्द्र प्रसाद
2.विश्म्भर दयाल पुत्रगण रामस्वरुप
3.रामेशचन्द्र 4. राकेश 5.राम 6. श्याम
7.विवेक पुत्रगण जगदीश प्रसाद
8.रविशंकर पुत्र भगवती प्रसाद जाति ब्रा0
निवासी—ग्राम गोहद ,परगना गोहद
जिला—भिण्ड,म0प्र0

———अनावेदकगण

...............

श्री एस0के0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदकगण के विरूद्व एक पक्षीय

...............

## आदेश

(आज दिनांक 03/11/2017 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.5.06 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील गोहद के ग्राम गोहद में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 535 रकवा 1.09 है0 के बटांकन करने वावत विचारण न्यायायल में एक आवेदक पत्र प्रतिअपीलर्थीगण ने पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 02/2003–04–अ–03 पर दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 8–12–2003 से राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर वटांकन सवीकृत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.12.2003 से परिवेदित होकर अपीलर्थी सत्यनारायन द्वारा एक अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ,गोहद के समक्ष प्रस्तुत की गई ,जो प्रकरण कमांक 04/2004–05/ अपील माल पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 23.08.2004 से निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी ,गोहद द्वारा पारित ओदश 23.08.2004 से दुखी होकर अपीलर्थी सत्यनारायन द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 18.5.06 को अस्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– प्रकरण में अभयपक्षकारो के विद्वान अभिभाषकगण की वहस सुनी गई आवेदक के विद्वान अभिभाषक की वहस अपील मेमो में लिखे गये तथ्यो के ही आधार पर करते हुये मुख्य रुप से यह तर्क पेश किये कि आवेदक विवादित भूमि में से 03 रकवा का भूमिस्वामी है। उक्त भूमि में अनेक हिस्सेदार है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी हितवद्व पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र न करने के बाद भी बटांकन आदेश पारित किया है, और किसी को पक्षकार नहीं बनाया गया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस महत्वपूर्ण विन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया और प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही आदेश पारित न होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि के सहखातेदारों का सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया गया, इस विन्दु पर भी कोई विचार अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा नहीं किया गया। अनावेदकगण ने राजस्व निरीक्षक से मिलकर गलत एकपक्षीय प्रतिवेदन प्राप्त कर बटांकन कराया है, जो प्रथम द्वष्टि में निरस्त होने योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

ऐसा न करते हुये प्रस्तुत अपील को निरस्त करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानना गलत है कि विवादित भूमि आवेदक द्वारा बटवारा की कार्यवाही पृथक होती है। वटवारे के हिस्से अलग किये जाते हैं तथा वटांकन मे किस दिनांक मे किस खातेदार का हिस्सा होगा निश्चित किया जाता है इस सारे विन्दुओ पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया है इस प्रकार दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंमत न होने के कारणा निरस्त किये जाकर प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जावे।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय था। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं अभिलेख का अध्ययन किया गया। प्रकरण में विचार करने के लिये मुख्य विन्दु मात्र यह है कि आवेदक द्वारा 03 विस्वा भूमि क्रय की गई थी उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया विचारण न्याालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका का अध्ययन किया। अनावेदकगण ने विवादित भूमि का बटवारा दिनांक 11.02.92 को कराया था, और उसी बटवारा के आधार पर बटांकन दिनांक 11.02.92 को कराया था, और उसी बटवारा के आधार पर बटांकन की मांग की गई थी। आवेदक का यह कहना कि 03 विस्वा भूमि का वह भूमिस्वामी है यह सही है कि वह भूमिस्वामी है, किन्तु भूमि स्वामी वह वटवारा हो जाने के बाद बना है, कि वह भूमि स्वामी है, पहिले उसका भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्वत्व नहीं था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वटवारा आदेश दिनांक 11.02.92 के पालन में ही वटांकन की कार्यवाही की तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन भी पेश किया गया है विचारण न्यायालय द्वारा वटांकन की कार्यवाही प्रकरण में सह खातेदारों की सहमति से ही की है । आवेदक का यह कहना गलत है कि विचारण न्यायालय द्वारा सहखातेदारों की सहमति नहीं ली गई है । यदि सहखातेदारों की सहमति नहीं होती तो निश्चित तौर पर सहखातेदारों द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2003 को वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी गई होती किन्तु किसी भी सहखातेदारों द्वारा ऐसा नहीं किया गया वल्कि आवेदक द्वारा ही अपील की गई है। जो अवधि बाह्य थी । आवेदक ने प्रकरण में ऐसा कोई भी लेखी दस्तावेजी प्रमाण न तो प्रथम अपीलीय न्यायालय में और न ही द्वितीय अपील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर उसके द्वारा उठाये गये मुद्दों का बल मिलता। मात्र मौखिक रुप से कह देना और लिख देना कोई महत्व नहीं रखते है। प्रमाण आवश्यक है।

आवेदक ने कोई सबूत या प्रमाण अपने निगरानी मेमो के साथ पेश नहीं की है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा किया गया वटांकन आदेश उचित माना है। राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की जांच की गई थी, जांच के समय पाई मौके की स्थिति का ही ध्यान में रखकर राजस्व निरीक्षक द्वारा वटांकन संबंधी प्रतिवेदन विचारण न्यायालय में पेश किया गया था। अपीलार्थी का यह कहना कि 03 विस्वा भूमि उसके द्वारा कय की गई थी, किस दिनांक को कय की गई उल्लेख आवेदक द्वारा नही किया गया। इस प्रकार उसका यह कहना कि वह वटांकन के समय भूमिस्वामी था मानने योग्य नहीं है। मेरे विचार से अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा पारित विचाराधीन आदेश उचित होने से अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा स्थिर रखा गया है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंम्बल सभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 04/2004–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 18.5.06 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर